फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 143/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/146) **श्री सोला बुनकर बनाम तहसीलदार आमेट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.08.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री सुरेश सिंह रावत - वकील अपीलार्थी 2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी **अनवान** 1. श्री सोला पिता श्री भुरा बुनकर, निवासी कोटडी, तहसील आमेट जिला राजसमंद। **अपीलार्थी** **बनाम** 1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट जिला राजसमंद। 2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, राजसमंद। **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा प्रकरण संख्या 01/2018 में पारित निर्णय दिनांक 20.01.2020, बनउनवानी तहसीलदार आमेट बनाम सोला बुनकर** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 12.08.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा प्रकरण संख्या 01/2018 में पारित निर्णय दिनांक 20.01.2020, बनउनवानी तहसीलदार आमेट बनाम सोला बुनकर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 20 के अन्तर्गत तहसील आमेट के ग्राम कोटडी के राजकीय भूमि के खसरा नम्बर 201 रकबा 0.5000 किस्म बंजट भूमि का आवंटन परामर्शदात्री समिति की सहमति से दिनांक 19.06.1986 को कोटडी निवासी सोला पिता भूरा बुनकर को जरिये आंवटन आदेश क्रमांक 512/86 दिनांक 14.02.2017 को किया। तत्पश्चात नियमानुसार राजस्व अभिलेखों में अपीलार्थी श्री सोला बुनकर के नाम गैर खातेदारी से दर्ज हुई। • आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद समक्ष तहसीलदार, आमेट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम-14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन), नियम, 1970 के पेश कर उक्त आवंटन को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया। जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.01.2020 से आराजी संख्या 672/201 रकबा 0.5000 हैक्टेयर भूमि का किया गया आवंटन निरस्त कर उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज कर श्री सोला बुनकर को बेदखल कर कब्जा राजसात किये जाने का आदेश प्रसारित किया। जिला कलक्टर, राजसमंद के उक्त निर्णय दिनांक 20.01.2020 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया जिस पर आपत्ति आरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला सलुम्बर व राजसमंद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 143/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/146) **श्री सोला बुनकर बनाम तहसीलदार आमेट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 08.08.2024 को सुनी गई। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन प्रस्तुत किये है** कि अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होकर भूमिहीन होने से उसे विधिवत भूमि का आवंटन किया गया। उक्त भूमि बंजड थी जिस पर अपीलार्थी द्वारा काश्त कर उसे कृषि काबिल बना गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि का गैर खातेदारी से खातेदारी दिये जाने के आवेदन पर उक्त कार्यवाही गई। उक्त प्रकरण रेस्पोडेंट द्वारा मनमकसुद तरिके से मौका पर्चा तैयार कर गलत रिपोर्ट के आधार पर झूठा प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया गया। मौका पर्चा स्वतन्त्र गवाही की मौजुगदी में नहीं बनाया गया। अपीलार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की गई। तहसीलदार को आवंटित भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज किया जाना था, परन्तु अपीलार्थी का आवंटित भूमि पर 34 वर्षों से कब्जा काश्त होने पर भी आवंटन निरस्त का आवेदन प्रस्तुत किया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअदांज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश पारित होने उपरान्त लॉकडाउन होने से अपीलार्धी द्वारा अपील ससमय पेश नहीं की जा सकी जिससे अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का पेश किया गया। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर आवंटन आदेश को बहाल रखे जाने का अनुरोध किया। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2016(1) पेज 218, आरआरटी 2007(1) पेज 563 एवं आरआरडी 2002 पेज 266 पेश किया। **प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता** द्वारा अपने कथन प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रावधित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवंटप आदेश का निरस्त करने का आदेश पारित किया जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई जो आवश्यक है। तहसीलदार आमेट द्वारा प्रार्थना पत्र नियम 14(4) के साथ मौका रिपोर्ट एवं फोटोग्राफस् प्रस्तुत किये गये जो आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने को प्रमाणित करते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावें। **हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।** सर्वप्रथम हम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम पर विवेचन किया जाना उचित समझते है। अपीलार्थी द्वारा देरी का प्रमुख कारण कोविड लॉकडाउन होना बताया है। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 20 के अन्तर्गत तहसील आमेट के ग्राम कोटडी के राजकीय भूमि के खसरा नम्बर 201 रकबा 0.5000 किस्म बंजट भूमि का आवंटन परामर्शदात्री समिति की सहमति से दिनांक 19.06.1986 को कोटडी निवासी सोला पिता भूरा बुनकर को जरिये आंवटन आदेश क्रमांक 512/86 दिनांक 14.02.2017 को किया। तत्पश्चात नियमानुसार राजस्व अभिलेखों में अपीलार्थी श्री सोला बुनकर के नाम गैर खातेदारी से दर्ज हुई। आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद समक्ष तहसीलदार, आमेट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम-14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन), नियम, 1970 के पेश कर उक्त आवंटन को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया। जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.01.2020 से आराजी संख्या 672/201 रकबा 0.5000 हैक्टेयर भूमि का किया गया आवंटन निरस्त कर उक्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 143/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/146) **श्री सोला बुनकर बनाम तहसीलदार आमेट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज कर श्री सोला बुनकर को बेदखल कर कब्जा राजसात किये जाने का आदेश प्रसारित किया, जिससे व्यथीत होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार आमेट द्वारा प्रमुख उज्र यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी द्वारा 30 वर्षो से आंवटित भूमि पर काश्त नहीं की गई जबकि प्रावधानोनुसार आवश्यक थी, मौका देखने पर भूमि नाकाबिल काश्त व पहाड़ीनुमा, ढालु, बंझड व पथरीली है, काश्त करने योग्य नहीं है। इसके विपरित अपीलार्थी द्वारा काश्त किये जाने के कथन प्रस्तुत किये है।

यहां राजस्थान-भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन), नियम, 1970 का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जिसके अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों ने जिन्हे भूमि 29.09.1999 से पूर्व आवंटित हुई थी, आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि के 50 प्रतिशत पर और दुसरे वर्ष शेष पर खेती नहीं की है और उनका आवंटन रद्द नहीं किया गया है, वे खातेदारी अधिकार प्रदान करने के पात्र होगे, यदि वे पिछले तीन वर्षों से उक्त आवंटित भूमि पर खेती कर रहे हो और आवंटन के अन्य निबन्धन और शर्ते पूति करते हो। उक्त प्रकरण में अभिलेखों के परिक्षण यह सामने आया है कि अपीलार्थी द्वारा आवंटन उपरान्त केवल एक वर्ष की खसरा गिरदावरी पेश की गई। दौराने बहस, अधिवक्ता अपीलार्थी को इस संबंध में अन्य खसरा गिरदावरी प्रस्तुत करने हेतु कहा गया जिस पर उनके द्वारा केवल एक बार काश्त किया जाना बताया गया। ऐसे में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रावधानों की पालना नहीं की गई है जो आज्ञापक प्रावधान है। आवंटी द्वारा आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि के 50 प्रतिशत पर और दुसरे वर्ष शेष पर खेती नहीं की है और ऐसें उनका आवंटन रद्द किया जा सकता है। मौका पर्चा अनुसार भूमि नाकाबिल काश्त व पहाड़ीनुमा, ढालु, बंझड व पथरीली है, काश्त करने योग्य नहीं है। आवंटी द्वारा तीन वर्षों से उक्त आवंटित भूमि पर खेती कर रहे हो, ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त शर्तों की पालना नहीं होने से तहसीलदार, आमेट द्वारा तथ्यों की जांच उपरान्त आवंटन निरस्त आवेदन अधीनस्थ न्यायालय समक्ष पेश किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 14(4) में विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन उपरान्त, विचार विश्लेषण कर एक तार्किक निर्णय पारित करते हुए आवंटन निरस्त करने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया जिसमें उपरोक्त विवेचनानुसार यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन एवं अध्ययन उपरान्त यह न्यायालय पाता है कि उक्त न्यायिक दृष्टातों में वर्णित स्थिति एवं हस्तगत प्रकरण की विधिक स्थिति पृथक होने से उक्त दृष्टात इस प्रकरण में लागु नहीं होते है।

परिणामतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर राजसमंद का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.01.2020 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सी.आर.देवासी)
R.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर